

मानसिक विकार (Disorder) या निःशक्तता (Disability) से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अन्धा या बहरा या गूंगा पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन भुगतान हेतु प्रत्येक तीसरे वर्ष दिये जाने वाला प्रमाण पत्र

**Rule 67 (Condition of grant) of Rajasthan Civil Services (Pension) Rules
1996**

The person receiving the family pension as natural/legal guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through the guardian, shall produce every three year a certificate from a medical officer not below the rank of Chief Medical & Health Officer/Medical Jurist to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled or blind or deaf and dumb.

ऐसे पुत्र या पुत्री के विधिक/नैसर्गिक संरक्षक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जो संरक्षक के माध्यम से परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक तीसरे वर्ष में चिकित्सा अधिकारी से, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडिकल ज्युरिस्ट की रैंक से नीचे का नहीं होगा, एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्राप्त करेगा कि वह मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित चल रहा/रही है या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अन्धा या बहरा या गूंगा बना हुआ/हुई है।